संख्या-146/2016/3204/26-3-2016-10(15)/2016

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 26 जुलाई, 2016

विषयः- समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 द्वारा संचालित परीक्षा पूर्व कोचिंग केन्द्रों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की पारिवारिक वार्षिक आय सीमा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्र संख्या-676/स0क0/2016-17, दिनांक-18.07.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा केन्द्र सरकार की भांति समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा संचालित निःशुल्क कोचिंग की योजना हेतु छात्रों के माता-पिता/अभिभावक की वर्तमान में निर्धारित वार्षिक पारिवारिक आय सीमा धनराशि रूपया-1.00 लाख से बढ़ाकर रूपया-6.00 लाख वार्षिक किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा संचालित निःशुल्क कोचिंग की योजना हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के माता-पिता/अभिभावक की वर्तमान में निर्धारित समस्त स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय सीमा धनराशि रूपया-1,00,000/-(रूपये एक लाख मात्र) से बढ़ाकर रूपया-6,00,000/- (रूपये छः लाख मात्र) वार्षिक किये जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in